



Neutral Citation No. - 2026:AHC:6208

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 41231 वर्ष 2025

महेंद्र सिंह उर्फ मुनीम

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: राज कुमार शर्मा, सुनील कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता , राजा राम कुशवाहा

न्यायालय संख्या - 46

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राज कुमार शर्मा, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजा राम कुशवाहा और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनी गईं और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया गया।

आज दाखिल किया गया पूरक हलफनामा रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह आवेदक की दूसरी जमानत याचिका है।

आवेदक की पहली जमानत याचिका न्यायालय ने 26.09.2024 को खारिज कर दी थी।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने एक पूरक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें प्रासंगिक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें यह तथ्य भी शामिल है कि हत्या के प्रयास के अपराध के संबंध में एक प्रतिवाद मामला आवेदक पक्ष द्वारा सूचनाकर्ता पक्ष के विरुद्ध उसी घटना से संबंधित दर्ज कराया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि उक्त घटना में आवेदक को भी चोटें आई हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि आवेदक पक्ष हमलावर नहीं था, बल्कि सूचनाकर्ता पक्ष हमलावर था। यह तर्क दिया गया है कि दोनों पक्षों को चोटें आई हैं और वर्तमान मामला तथा प्रतिवाद मामला दोनों ही अवर न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं। इस मामले में अवर न्यायालय के समक्ष चार अभियोजन गवाहों की जांच की जा चुकी है। आवेदक 10.04.2023 से जेल में है और उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है।

दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की अर्जी का विरोध किया है।

अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता, उपर्युक्त उल्लिखित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों में बल पाते हुए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक अधिकार क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, 2024 लॉ सूट (एससी)** 677 मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर विचार करते हुए और विचाराधीन कैदियों द्वारा जेलों में उनकी क्षमता से 5-6 गुना अधिक भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला सिद्ध किया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

आवेदक महेंद्र सिंह उर्फ मुनीम, जो मुकदमा अपराध संख्या 133/2023, धारा 147, 148, 307, 302, 323, 325, 452 और 504 के तहत, पुलिस स्टेशन- शिवाली, जिला- कानपुर देहात, दिनांक 09.04.2023 की एफ.आई.आर. में आरोपित है, को निजी मुचलके और दो जमानती पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार इतनी ही राशि के जमानती पेश करे, निम्नलिखित शर्तों के अधीन। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा।

(ii) आवेदक यह वचन देगा कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, अवर न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(iii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या न्यायालय के निर्देशानुसार उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहने की स्थिति में, अवर न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(iv) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए, धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और

आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए के तहत कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा।

(v) आवेदक को विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप निर्धारण और (iii) धारा 313 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज करना। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

अवर न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वह आवेदक के मुकदमे को यथाशीघ्र समाप्त करे, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर।

9 जनवरी 2026

रोहित.

(न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।